the State Governments. Greater emphasis is being laid on the improvement of slums and provision of serviced sites to the economically weaker sections of society. Since the problem of slums has socio-economic ramifications and is not solely related to housing shortage, no realistic time-frame for solving this problem can be laid.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुड़ की वसूली

7864. **श्री रामसेवक हजारी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम गुड उत्पादकों से गुड की खरीद करने में असमर्थ रहा है ;

(ख) क्या गुड की कीमतें दिन प्रतिदिन गिर रही हैं, और

(ग) यदि हां, तो गुड उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश के चुनींदा केन्द्रों में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1978 (15-4-78 तक) के दौरान चल रहे गुड के साप्ताहिक थोक मूल्यों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी–2176/78]

(ग) भारतीय खाद्य निगम और नफेड जैसी केन्द्रीय सरकार की ऐजेंसियों द्वारा गुड की काफी अधिक मात्रा में खरीदारी की जा रही है।

इस के अलावा, निर्यात से सभी प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं और बैंक उधार पर मार्जिन कम कर दिए गए हैं ताकि उत्पादक-व्यापारी निर्यात द्वारा अपने स्टाक का निपटान कर सकें और उन की स्टाक रखने की शक्ति में वृद्धि हो सके।

संयुक्त नदी घाटी परियोजना के बारे में भारत और नेपाल के बीच बातचीत

7865. **श्री रामसेवक हजारी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त नदी घाटी परियोजना के बारे में भारत और नेपाल के बीच बातचीत हुई है,

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है, और

(ग) कौन कौन सी परियोजनाएं क्रियान्वित की जानी हैं और उन से भारत और नेपाल का कितना कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में निम्नलिखित निर्णय शामिल थे —

(1) करनाली परियोजना

करनाली परियोजना संबंधी समिति के विचारणीय विषयों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और तीन महीने की अवधि में इस समिति की बैठक की जानी चाहिए तथा इस समिति को अपनी सिफारिशें एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि परस्पर हित के लिए इस परियोजना को क्रियान्वयन के लिए शीघ्र हाथ में लिया जा सके।

(2) पंचेश्वर जल-विद्युत् परियोजना

इस परियोजना के संयुक्त अन्वेषणों को आरम्भ करने के लिये दोनों देशों को तीन महीने की अवधि के अन्दर अपने-अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करना चाहिए ।

(3) राप्ती परियोजना

विस्तृत अन्वेषण करने एवं दो वर्षों के अन्दर विस्तृत परियोजना अनुमानों को तैयार करने के प्रबन्धों को अंतिम रूप देने हेतु दोनों देशों के विशेषज्ञों की बैठक एक महीने के अन्दर की जानी चाहिए ।

करनाली परियोजना सम्बन्धी समिति के विचारणीय विषयों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इस समिति की प्रथम बैठक अप्रैल, 1978 के प्रथम सप्ताह में हुई थी। यह निर्णय किया गया था कि परियोजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये दो संयुक्त दल और प्रत्येक देश में दो अलग-अलग दल गठित किए जाएं ।

जहां तक पंचेश्वर जल-विद्युत परियोजना का संबंध है, संयुक्त विशेषज्ञ दल की प्रथम बैठक 11 और 12 अप्रैल, 1978 को हुई थी। यह निर्णय किया गया था कि अन्वेषण करने और उन की लागत के अनुमानों को तैयार करने के लिये विचारणीय विषयों को तयार करने हेतु एक संयुक्त तकनीकी दल गठित किया जाए ।

एक नेपाली प्रतिनिधि-मण्डल जनवरी, 1978 में भारत आया था और राप्ती परियोजना के विस्तृत अन्वेषणों को किस तरीके से किया जाना चाहिये, इस पर विचार-विमर्श किया गया था। क्षेत्रीय अन्वेषणों के अनुमानों को अन्तिम रूप देने एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारत और नेपाल के इंजीनियरों के एक दल की हाल ही में एक बैठक हुई थी ।

ये सभी परियोजनाएं अन्वेषणों की अवस्था में हैं और भारत तथा नेपाल को इनसे होने वाले लाभों की मात्रा इस समय नहीं बताई जा सकती ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम में व्यापारिक और औद्योगिक वाणिज्यिक गृहों का शामिल होना

7866. **श्री रामसेवक हजारी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रम में व्यापारिक और औद्योगिक वाणिज्यिक गृहों को शरीक करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार ग्राम विकास कार्यक्रम में व्यापारिक और औद्योगिक वाणिज्यिक गृहों को शामिल करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है ।

(ख) और (ग) कम्पनियों तथा सहकारी सोसाइटियों को ग्राम कल्याण तथा उत्थान के कार्य में शामिल होने के लिए बढ़ावा देने हेतु वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977 ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा 35 जग जोड़ी है जिस के अधीन कम्पनियां तथा सहकारी सोसायटियां ग्राम विकास के किसी कार्यक्रम पर उनके द्वारा किए गए व्यय पर उनके आयकर योग्य लाभों की गणना करने में छूट पाने की पात्र हैं । इस छूट की प्रक्रिया में ग्राम विकास कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए अनेक कम्पनियां आगे आई हैं । तथापि, अन्य दूसरी कम्पनियों ने यह निवेदन